प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक – 18 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 01 – 08 मई 2017 मूल्य पांच रूपए

नगर निगम शिमला

मतदाता सूचियों पर उठे सवालों से चुनावों का तय समय पर होना असम्भव

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के चुनावों की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। इस नाते यह चुनाव तय समय पर हो पायेंगे या नहीं इसको लेकर संशय बना हुआ है। निगम के नये हाऊस का गठन पांच जून को होना आवश्यक है। लेकिन इन चुनावों को लेकर जो मतदाता सूचियां अब तक सामने आयी हैं उनको लेकर सारे राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी आपत्तियां राज्य चुनाव आयोग के पास दायर कर रखी हैं। सीपीएम जिसके पास मौजूदा हाऊस के मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों पद हैं उसने तो मतदाता सूचियां को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में भी दस्तक दी थी। उच्च न्यायालय ने इसका गंभीर संज्ञान लेते हुए उन्हें दो दिनों के भीतर ठीक करने के निर्देश दिये थे। उच्च न्यायालय के इन निर्देशों के बाद आयोग और जिला प्रशासन ने इनको ठीक करने का प्रयास भी किया लेकिन इस प्रयास के बाद भी जो सूची जारी हुई है उसको लेकर कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम तीनों दलों ने फिर से आपत्तियां उठाई हैं। इस तरह कुल मिलाकर मतदाता सूचियों को लेकर जो आरोप लगाये गये हैं उनका निराकरण करने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में यदि मतदाता सूचियों को पूरी तरह दुरूस्त करने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है तो चार जून की तय समय सीमा को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा।

मतदाता सूचियों का एक गंभीर पक्ष यह भी है कि इस बार नगर निगम के वार्डो की संख्या 25 से बढ़ाकर 34 की दी गयी है। यह संख्या बढ़ने के साथ ही निगम में कुछ एरिया पंचायतों का भी जोड़ा गया है। जो एरिया पंचायतों से निगम में शामिल हुआ है वहां के मतदाताओं का नाम संभवतः अब तक पंचायतों की मतदाता सूचियों में भी चल रहा है। अब नगर निगम में शामिल होने के साथ ही इनका नाम निगम की सूचीयों में भी आ गया है और इस तरह बहुत संभव है कि इनका नाम इस समय दोनों जगह मतदाताओं के रूप में चल रहा हो। कानून की दृष्टि से दोनों स्थानों पर एक ही समय में बतौर मतदाता नाम होना अपराध है। कायदे से संबधित प्रशासन को अपने स्तर पर ही पंचायत क्षेत्र से इन नामों को हटाकर इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी जानी चाहिये थी। परन्तु संभवतः ऐसा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी भी निगम चुनावों की अधिसूचना जारी करने से पहले पूरी करनी होगी।

दूसरी ओर इस समय जो राजनीतिक वातावरण बना हुआ है उसको सामने रखते हुए कांग्रेस, भाजपा और वामदल सभी यह चाहते हैं कि यह चुनाव चार छः माह के लिये आगे टाल दिये जायें। बल्कि कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक अभी हुई है उसमें भी इन चुनावों को टालने के लिये आग्रह किया गया। क्योंकि इसी वर्ष प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और इस समय यदि कांग्रेस यह निगम चुनाव हार जाती है तो इसका विधानसभा चुनावों के लिये सही सन्देश नहीं जायेगा। इसलिये कांग्रेस चुनावों के पक्ष में नही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खु ने तो मतदाता सूचीयों को लेकर रिकार्ड पर आयोग में शिकायत दायर कर रखी है। जब से नगर निगम बना है तब से लेकर आज तक भाजपा का इस पर कब्जा नही हो सका है। भाजपा की सरकार होते हुए भी कब्जा नही हो सका है। इस समय भले ही भाजपा के पक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर हवा चल रही है। लेकिन नगर निगम के इन चुनावों में सीपीएम भी एक बड़े दावेदार के रूप में सामने है। मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों पदों पर उसका कब्जा है। इस परिदृश्य में भाजपा भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। ऐसे में वह भी विधानसभा चुनावों से पहले ऐसा कोई खतरा मोल नही लेना चाहती है। इसलिये कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़े दल अपरोक्ष में इस चुनाव के लिये तैयार नही हैं।

ऐसे में राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों को कैसे तय समय पर करवा पाता है यह उसके लिये एक बड़ा सवाल है। चुनाव में मतदाता सूचियों का सही होना ही सबसे बड़ी अनिवार्यता है और इन सूचीयों को लेकर ही सभी दलों ने आपत्तियां उठा रखी हैं। ऐसे में आयोग को यह चुनाव टालने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। फिर एक्ट की धारा 2434(1) में यह है कि Every Municipality unless sooner dissolved under any law – और इसी धारा के क्लाज 3(b) में है कि before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution, एक्ट में आये dissolution के जिक्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि चयनित हाऊस को किन्ही कारणों से भंग किया जा सकता है और इस समय मतदाता सूचीयों में बार-बार आ रही गलतीयों के निराकरण के लिये चुनावों को आगे टालना आवश्यक हो जायेगा।

मीरा वालिया की नियुक्ति पर भाजपा ने उठाये सवाल

सुभाष आहलूवालिया फिर आये ईडी के निशाने पर

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के प्रधान निजि सचिव सुभाष आहलूवालिया की पत्नी मीरा वालिया ने प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पदभार संभाल लिया है। मीरा वालिया इससे पूर्व राजकीय कन्या माहविद्यालय शिमला की प्रिंसिपल के पद से सेवा निवृत होने के बाद शिक्षा के लिये गठित रैगुलेटरी कमीशन की सदस्य थी। अब सरकार ने रैगुलेटरी कमीशन से उनका त्यागपत्र स्वीकार करके लोक सेवा आयोग का सदस्य लगाया है। चर्चा है कि मीरा वालिया की नियुक्ति की फाईल राज्यपाल से करूक्षेत्र में साईन करवायी गयी और इसमें राज्यपाल के सलाहकार डा. शशीकांत ने भी पूरा योगदान दिया है, लेकिन भाजपा ने मीरा के पदभार संभालते ही उनकी नियुक्ति पर सवाल उठा दिये है। भाजपा नेताओं राजीव भारद्वाज, अजय राणा, राम सिंह और हिमांशु मिश्रा ने एक प्रैस ब्यान जारी करके इस नियुक्ति पर एतराज उठाया है। भाजपा नेताओं ने यह एतराज भाजपा शासन के दौरान आहलूवालिया दंपति के खिलाफ बने आये से अधिक संपत्ति मामले को लेकर उठाये हैं। स्मरणीय है कि इस मामले में इनका नार्कोटैस्ट तक करवाने की नौबत आ गयी थी, बल्कि मीरा वालिया को अपने बच्चों से मिलने के लिये विदेश नहीं जाने दिया गया था। उन्हें एयरपोर्ट से वापिस आना पड़ा था। मीरा वालिया के खिलाफ सरकारी नौकरी में रहते हुए एमवे कंपनी के लिये भी काम करने का आरोप लगा था और इस संबन्ध में कंपनी के साथ उनका अन्य सहयोगी के साथ एक फोटो भी चर्चित हुआ था।

आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच ऐजैन्सी ने सीए राजीव सूद की रिपोर्ट भी हासिल की थी। राजीव सूद ने अपनी रिपोर्ट में 70 लाख की संपत्ति आय से अधिक पायी थी। यह मामला भाजपा सरकार के जाने के बाद वीरभद्र सरकार में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति न दिये जाने के कारण समाप्त हुआ था, लेकिन वीरभद्र सरकार आने के बाद इस संद्धर्भ में एक शिकायत भारत सरकार द्वारा काले धन को लेकर गठित एसआईटी के सदस्य सचिव एमएल मीणा तक पंहुच गयी थी। वहां से यह शिकायत ईडी के शिमला स्थित कार्यालय में पहुंची। इस पर ईडी ने सुभाष आहलूवालिया को तलब किया था, लेकिन उस समय ईडी के शिमला कार्यालय में प्रदेश पुलिस का ही एक अधिकारी सहायक निदेशक नियुक्त था। जैसे ही ईडी ने आहलूवालिया के खिलाफ कारवाई शुरू की। प्रदेश सरकार ने तुरन्त प्रभाव से उस अधिकारी को डैपुटेशन खत्म करके उसे वापिस बुला लिया। उस समय यह मामला प्रदेश विधानसभा में चर्चित हुआ था। भाजपा ने इस पर चार दिन तक सदन नही चलने दिया था इस परिदृश्य में उस अधिकारी के प्रदेश में वापिस आने के साथ ही यह मामला एक तरह से दब गया था। अब स्वभाविक है कि अब जब सरकार ने मीरा वालिया को इतनी बड़ी नियुक्ति दे दी तो भाजपा को यह मामला उठाने का फिर से मौका मिल गया और उसने इस दिशा में कदम उठा लिया।

दूसरी ओर ईडी के उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक सुभाष आहलूवालिया के मामले पर ऐजैन्सी पुनः से सक्रिय हो गयी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने चण्डीगढ़ और दिल्ली में आहलूवालिया परिवार के कुछ निकटस्थों से लम्बी पूछताछ इन दिनों की है, जबकि चण्डीगढ़ का व्यक्ति तो इस परिवार से अपने कारोबारी रिश्ते भी समाप्त कर चुका है, लेकिन इसके वाबजूद ईडी ने इनसे लम्बी पूछताछ की है। इसमें कुछ लोगों के ब्यान भी रिकार्ड किये गये हैं। शिकायत में पन्द्रह बैंक खातों की सूची सौंपी गयी है। सूत्रों के मुताबिक इन खातों से जुड़ी जानकारी ईडी हासिल कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सुभाष आहलूवालिया और उनकी पत्नी मीरा वालिया को कभी भी तलब किया जा सकता है। इसमें जेपी उद्योग समूह तक भी शिकायत के तार जा रहें है और इस उद्योग के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है।

ऊर्जा को खेल में मेडल जीतने में परिवर्तित करें

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय न्यायालय की शिमला में त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि युवा अपार शक्ति के स्त्रोत व प्रतीक हैं, इसलिए आवश्यक है कि उनकी ऊर्जा का देश के चहुमुखी विकास में भरपूर इस्तेमाल हो। उन्होंने शारीरिक शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर कहा कि युवाओं की ऊर्जा को मैदान में उतारें और प्रदेश के अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करें, विशेषकर छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को खेलों के प्रति प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की खेल क्षेत्र में उपलब्धियां संतोषजनक नहीं हैं और इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों को अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों में केवल 46 मेडल प्राप्त हुए है, जोकि छात्रों की संख्या के मद्देनजर नाकाफी है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में अनुशासन व समग्र विकास पर ध्यान देने पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि अनुसंधान कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को लक्ष्य हासिल करने के साथ-साथ परिणाम मूलक ढांचे पर ध्यान देना चाहिए। निर्धारित समय के भीतर कार्य को पूरा करने के नियम को कड़ाई से पालन करना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि अध्यापक बच्चों को देश के लिए आदर्श नागरिक बनाने में समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखना चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर जोर देना चाहिए।

उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन, विशेषकर छात्रावास वार्डनों को परिसर विशेषकर छात्रावास के स्नानागार व शौचालय की सफाई की नियमित रूप से जांच करने को भी कहा।

हि.प्र. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एडीएन बाजपेयी ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों बारे विस्तृत जानकारी दी।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-PROCUREMENT NOTICE
INVITING FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HP Division Dharampur Distt. Mandi H.P. on behalf of Governor of H.P. invites the item rates bids in electronic tendering system for construction of each of the following works from the eligible and approved contractors registered with HPPWD.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	EMD (in Rs.)	Cost of tender form (In Rs.)	Time Limit	Eligible class of contractor
1.	Periodic maintenance of Sarkaghat to Brarta Road km 0/0 to 6/500 (VR -0069) other than PMGSY Annual Maintenance plan for 2017-18 (SH:- P/L built up spray grout bituminous concrete in km 3/0 to 5/0)	13,34,763/-	26700/-	500/-	45days	"D"

2. Date of release of Invitation for Bids through e- procurement 03.05.2017
3. Cost of Bid From : Shown against each (Non-refundable) only in form of draft in favour of Executive Engineer Dharampur Division HP PWD , Dharampur
4. Availability of Bid Document and mode of Submission : The document is available online and bid should be submitted in online on mode on website http://hptenders.gov.in. Bidder would be register in the web-site which is free of cost .For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA) "Aspiring bidders ho have not obtained there ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: https://hptenders.govt.in. in /digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.
Non- registered bidders may submit bids however; the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract.
5. SUBMISSION OF ORGINIAL DOCUMENTS:-The earnest money in the approved from duly pledged in the name of executive Engineer concerned. The cost of tender form in the shape of Demand Draft payable to the Excecutive Engineer concerned. The above two documents shall submitted by the contractor on the date of opening of the bid failing which tender will not be opened.
6. Last Date / Time for receipt of bids through e- tendering 25.05.2017 upto 11:00AM.
7. The site for the work is available.
8. Only online submission of bids is permitted therefore : bids must be submitted online on website: http://hptenders.govt.in. The Bids shall be opened on 25.05.2017 at 11:30. AM. his in the office Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur. H.P by the authorized officer in the interests are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders to be present along with original document s at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified . the bids as specified . the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
9. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90 days after the deadline date for bid submission.
10. Other details can be seen in the biding documents. The officer inviting tender hall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even thought the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-0420/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, OUTER SERAJ DIVISION, HP,PWD.NIRMAND
WEB:WWW.HPPWD.GOV.IN, EMAIL: NIR-HP@NIC.IN
'NOTICE INVITING TENDER'

Sealed item rate tender on from 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer outer Seraj Division HP PWD . Nirmnad on behalf of Governor of H.P. from the approved eligible contractors enlisted in HP PWD, for the following works, so as to reach this office on 01-06-2017 upto 10:30 A.M. and same will be opened on the same day at 11:00 A.M. in presence of the interested contracts or their authorized representative. The tender form can be had from the office of Executive Engineer Outer Seraj Division HPPWD, Nirmand on cash payment (Non-refundable) on or before 30.05.2017 during office hours till 4:00 P.M. The application must be accompanied with earnest money in shape of NSD /FDR/ Time deposit ect. Of any post office of H.P. or Nationalized Bank duly pledged in the name of Executive Engineer Outer Seraj Division HPPWD. Nirmand cash order will not be entertained , it may be ensure that the earnest money shall have to be prepared work wise form will not be issued . The offer of tender shall be kept open for 90 days. The conditional tender or tender received by post will also be rejected . The undersigned serves the right to reject any or all tenders without assigning any reason. All the approved eligible contractors should bring copy of their valid enlistment /renewal /exemption from earnest money with them. The tender documents will be issued only to those who fulfill the eligible conditions. **The contactors should be registered as dealer under HP Sale Tax Act. 1968 and now should be registered under VAT Act, Vaild Copy of Registration as required , copy sale tax Copy of PAN Card** failing which no tender form will be issued to him.

Work No.1 Periodical Maintenance of Nishani to Damheli road km 0/00 to 3/500. (SH: Providing annual surfacing in km 2/00 to 3/500) Estimated Cost Rs. 9,76,412/- Earnest Money Rs. : 20,000/- time three Months Cost of form 350/-

Adv. No.-0420/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

दीक्षांत का अर्थ शिक्षान्त नहीं, जीवनपर्यन्त सीखने का जज़्बा: राज्यपाल

शिमला/शैल। हरियाणा के स्नातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि दीक्षांत का अर्थ शिक्षांत नहीं, इसलिए डिग्री प्राप्त करने के बाद भी जीवन पर्यन्त सीखने का जज़्बा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी डिग्री प्राप्त कर समाज के विकास और उन्नयन के कार्य में जुटें और किसी भी बुरे आचरण और कृत्य का हिस्सा न बनें। उन्होंने कहा कि समाज के भ्रष्ट आचारण में पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए आवश्यक है कि पढ़े लिखे लोग लोक कल्याण और उत्थान के कार्य में लगें। सत्य बोलने का अवसर मिले तो सदैव सच बोलें, कुशलता प्राप्त करें और इसे समाज में फैलाएं। उन्होंने कहा कि स्वार्थ रहित सिद्धांत ही व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री प्राप्त करना, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने का माध्यम न होकर स्वयं और समाज को आध्यात्मिक तौर पर जागृत करने का लक्ष्य होना चाहिए।

इस अवसर पर एस.डी. कालेज अम्बाला कैंट के प्राचार्य डा. राजेन्द्र सिंह ने कालेज की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

जैविक खेती से खेत भी सुरक्षित और वातावरण भी सुरक्षितः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डा. वाई.एस.परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा उगाई तथा प्रसारित की जा रही फलों एवं फूलों की खेती के कार्य का जायजा लिया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश फल राज्य के रूप में विख्यात है तथा इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कीवी फल को प्रदेश के निचले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है जिसका बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस फल से अनेक तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं जिससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सकती है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से न केवल खेत सुरक्षित होंगे बल्कि वातावरण के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।

इसके उपरान्त राज्यपाल खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यार्थियों एवं युवा वैज्ञानिकों को सम्बोधित करते हुए आह्वान किया कि कृषि क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं से उभर कर जैविक और प्राकृतिक खेती को वैज्ञानिक शोध के साथ आगे बढ़ाएं। उन्होनें युवा वैज्ञानिकों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र को अन्नदाता के रूप में विकसित करें और प्रधानमंत्री के अन्न उत्पादन के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं ।

उन्होने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि वे विश्वविद्यालय परिसर को सभी प्रकार के नशे से मुक्त रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि फास्ट फूड सेहत के लिए हानिकारक है जिससे बचा जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि स्वस्थ दिनचर्या से ही स्वस्थ जीवन निश्चित है ।

राज्यपाल ने खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए ।

विश्वविद्यालय के कुलपति डा. एच.सी.शर्मा ने कहा कि नौणी विश्वविद्यालय ने कृषि विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारत में पांचवा स्थान प्राप्त किया है ।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
'NOTICE INVITING TENDER'

Sealed item rate tender on PWD form Number 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer , Jawali Division H.P.PWD. Jawali on behalf of the Governor of H.P. for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in H.P.P.W.D. so as to reach in this office in the waxed sealed cover on or before **2.6.2017 up to 11:00 (AM)** and will be opened on the same day at 11:30 (AM) in the presence of the intending contractor or their authorized representative who may like to be present. The application for purchase tender will be received **up to 4:00 PM. On dated 31.5.2017.** The tender form can be obtained from this office **11:00 AM to 4:30 P.M. on dated 1.6.2017.**
The amount of Earnest Money in the shape of NSC/FDR Time Deposit account /Deposit at call of any of Post Office /Bank duly pledged in the name of the Executive Engineer Jawli Division H.P.PWD Jawali should be deposit first application then the tender documents will be issued. Conditional tender and tender application without earnest money will be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject any or all the tender without assigning any reason.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost Rs.	Earnest Money Rs.	Time Limit	Cost of Form Rs.
1.	A/R &M/o various roads under Jawali Sub- Division (SH:-Providing patch work by repair of pot holes)	7,58,762/-	15,200/-	Two Months	350/-
2.	A/R &M/o various roads under KotlaSub- Division (SH:-Providing patch work by repair of pot holes)	7,58,762/-	15,200/-	Two Months	350/-
3.	A/R &M/o various roads under Nagrota Surian Sub- Division (SH:- Providing patch work by repair of pot holes)	6,34,492/-	12,700/-	Two Months	350/-
4.	Periodical Renewal of road for the year 2017-18 under PMCSY Dak to Dav road Km. 0/0 to 2/0 Package No. HP - 04-10) (SH:- Providing and Laying 25mm thick bituminous concrete in km 0/0 to 0/500 = 0.500 km.	4,03,452/-	8100/-	Two Months	350/-

Conditions:-
1. The Contractors should have the Labour License from the competent authority under contract Act. 1970 failing which no tender form shall be issued.
2. The contractor is required to submit an affidavit for not having more than two works in hand for execution as per instruction contained in Principal Secretary (PW) to the Govt. of H.P. Shimla notification No. PBW(B) 17 (3)1/06 IV dated 21.5.2011.
3. For the work at S. No. 4 the tender form will be issued to those contractors who produce /submit for having requisite machinery such as paver, hot mix plant, Vibrator road roller/ road roller, tipper etc. or on production of legal documents in proof of tie up with the owner of such machinery required for the tarring work.
4. The contractor should be registered as a dealer under HPST Act 1968 and should produces ST clearance Certificate latest from the Excise and Taxation Department.
5. The Cess charges @ 1% One percent) will be deducted from gross amount of work done by the contractor.
6. The contractor should produce copy of their PAN at time of application.
7. The contractor should produce a copy of enlistment/ renewal letter at time of application.
8. Special care should be taken to write the rates both in figures and in words, failing which tender likely to be rejected to be circumstances.
9. If the office happens to be closed on the date of opening of the tenders as specified , the tenders will be opened on the next working day at the same time and venue.

Adv. No.-0449/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

महिलाएं शक्ति का प्रतीक व समाज की आधार: ऊर्जा मंत्री

शिमला/शैल। ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने नई दिल्ली में प्रेरणा फाउंडेशन द्वारा विकासशील देश अनुसंधान केन्द्र नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित महिला सशक्तिकरण विषय पर पहला प्रेरणा फाउंडेशन अवार्ड समारोह में हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों के 44 प्रसिद्ध व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिये इंसपायर एस्पायर इंडिया पुरस्कार प्रदान किए।

इस अवसर पर पठानिया ने कहा कि महिलाएं हमेशा ही शक्ति का प्रतीक व समाज का आधार रही हैं। उनकी माताओं, बहनों व बेटियों के रूप में परिवार के पालन पोषण में महत्वपूर्ण रहती है। यदि हम वर्तमान परिदृश्य में नजर डाले तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब तक विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता जब तक सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित न हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, जहां वे अपनी इच्छा व स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें।

मंत्री ने कहा कि गैर सरकारी संगठनों की सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने लोगों से सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक नागरिक व मानव होने के नाते हमारा यह सामूहिक दायित्व बनता है कि जरूरतमंद व गरीब लोगों की सेवा के लिए आगे आएं।

पठानिया ने कहा कि युवा हमारे भारत के भविष्य निर्माता हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे समाज व देश को सुदृढ़ करने के लिए सभी सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने महिला सशक्तिकरण बारे जागरूक करने में भी योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला का सम्मान सुनिश्चित बनाना अति महत्वपूर्ण है और उन्हें राष्ट्र व घरों में बराबर के हिस्सेदार के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए।

प्रेरणा फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम शर्मा ने मंत्री का स्वागत किया तथा फाउंडेशन की गतिविधियां बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों व गांवों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न व्यवसायों- सिलाई, ब्यूटीशियन इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवा कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।

इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों ने भी महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

स्टोन क्रशर मालिक 8 मई, 2017 को राज्य भू-वैज्ञानिक से करें सम्पर्क

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हि.प्र. उच्च न्यायालय ने 3 मई, 2017 को प्रदेश के स्टोन क्रशर मालिकों को पेनलिटी नोटिस जारी करने सम्बन्धित मामले की सुनवाई में 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2632 शीर्षक हरभजन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य के परिणामस्वरूप निर्देश जारी किए गए, जहां भी सामग्री की मात्रा से सम्बन्धित कोई विवाद है तथा मामले समिति की रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, जो 2006 के सीडब्ल्यूपी संख्या 635 शीर्षक हरभजन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किए गए हों, ऐसे मामलों में राज्य सरकार याचियों/अभियोगियों समेत सभी पक्षों को सामग्री से सम्बन्धित विवाद के सौहार्दपूर्ण हल के लिए समान मंच उपलब्ध करवाएगी, जिस पर निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सभी पक्ष, जिन्हें नोटिस जारी हुए हैं, चाहे उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की हो या नहीं, को 8 मई, 2017 को राज्य भू-वैज्ञानिक के कार्यालय में सम्पर्क करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पक्षों को मामलों के निपटान के लिए पर्याप्त प्रावधान सहित पूर्ण दस्तावेज व अधोसंरचना उपलब्ध करवाई जाएगी।

प्रवक्ता ने सभी सम्बन्धित पक्षों से 8 मई, 2017 को राज्य भू-वैज्ञानिक के कार्यालय में अपने विवाद सुलझाने के लिए सम्पर्क करने का आग्रह किया।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 9095 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि फरवरी, 2015 से लेकर अभी तक कुल 15871 प्राप्त मामलों में से 9095 मामलों का निपटारा किया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त 6423 मामलों में से 1078 मामले निपटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 206 अवमानना याचिकाएं, 14 समीक्षा याचिकाओं, 15 पूर्व याचिकाओं तथा 4520 विविध आवेदनों का निपटान भी इस अवधि के दौरान किया गया है।

यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2009 से पूर्व के पुराने लम्बित मामलों का निपटारा डिवीजनल बैंच द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

दून विधानसभा क्षेत्र की जनता को 60 करोड़ की विकास परियोजनाएं समर्पित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दून निर्वाचन सभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान लगभग 60 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिलाएं रखीं।

उन्होंने 2.16 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कोटला-हरिपुर सड़क के स्तरोन्यन के उद्घाटन के अलावा बद्दी-शीतलपुर सड़क पर 6. 36 करोड़ रुपये के पुल, मालपुर में 23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 66 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र का भी लोकार्पण किया। इस केन्द्र से औद्योगिक उपभोक्ताओं के अलावा मालपुर तथा संधोली पंचायतों के लोगों की बिजली की आवश्यकताएं पूरी होंगी।

मुख्यमंत्री ने हरिपुर में 1.38 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पट्टा-महलोग में 6.61 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा गोयला में 8.56 करोड़ की लागत से बनने वाले 33 के.वी. विद्युत उप केन्द्र की आधारशिलाएं भी रखीं। इस उप केन्द्र से ग्राम पंचायत गोयला, डकरयाणा, घड़सी, चंडी, बढ़लग, खरेटी तथा साथ लगते क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुविधा मिलेगी।

इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने चंडी में आवासीय सुविधा सहित नए स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आधारशिला भी रखी। इसके निर्माण पर 13.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।

सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से उजागर करें:सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार की वर्तमान कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक, सोशल तथा पारम्परिक मीडिया के माध्यम से व्यापक ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए विभाग को व्यापक तौर पर मीडिया का उपयोग करने के लिए एक मीडिया रणनीति बनानी चाहिए।

मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार तथा मुख्यमंत्री के सन्देश को जनता के बीच प्रस्तुत करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को राज्य के कोने-कोने तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग स्थापित कर बाह्य प्रचार को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने होर्डिंग को और आकर्षक बनाने पर भी बल दिया।

अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग को सफलता की कहानियों पर वृत्तचित्र व लघु फिल्में तैयार करनी चाहिए और मोबाईल प्रचार वैन तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से इन्हें लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए।

अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग को सुदृढ़ करने के लिए सभी क्रियाशील पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आधुनिक प्रचार उपकरणों तथा पर्याप्त वाहनों से सुसज्जित किया जाएगा।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक आर.एस. नेगी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा उन्हें विभाग की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने अर्की में 65 करोड़ की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अर्की विधानसभा क्षेत्र में लगभग 65 करोड़ रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए व आधारशिलाएं रखीं। उन्होंने 28.62 लाख रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगदाघाट के अतिरिक्त भवन, स्तरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पट्टा पांजल, नव स्तरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल घड़याच तथा राजकीय उच्च पाठशाला जाबरी के उद्घाटन किये। उन्होंने 40 लाख रुपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पट्टा पांजल के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने 40.25 लाख रुपये की लागत से निर्मित जयनगर-ऊखू वाया बड्डल सुनाली-रूग सड़क, 1.75 करोड़ रुपये की लागत से साई-ऊखू सड़क, 6.36 करोड़ रुपये की लागत से छेओड़ खड्ड-जघून सड़क तथा 7.14 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बुईला-कोयल-सनोग सड़क का भी उद्घाटन किया।

वीरभद्र सिंह ने 50.10 लाख रुपये की लागत से संबधित गंभर से साई उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से क्षेत्र की 6 बस्तियों की लगभग 1100 की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने बलेरा में नवनिर्मित हेलीपैड के लिये पूजा की रस्म भी अदा की।

मुख्यमंत्री ने 21 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली कुनिहार-भूमति-सायली-ब्रहमपुखर सड़क, 3.10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली क्यारी-सैली सड़क, 3. 42 करोड़ रुपये की लागत की हरदेवपुरा-बलवां, 1.50 करोड़ रुपये की लागत की तालाब (राऊ खड्ड)-बेहली सड़क तथा 11.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली भूमति-सुरजपुर सड़क की भी आधारशिलाएं रखीं।

बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए अब प्रदेश के पात्र युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, ताकि वे योजना का तुरंत लाभ प्राप्त कर सकें। यह निर्णय श्रम एवं रोजगार तथा उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में श्रम एवं रोजगार विभाग की बैठक में लिया गया।

श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि ऐसे युवा जो एक वर्ष पहले से किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, तुरंत ऑनलाईन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग विभाग की वैबसाइट http://admis-hp-nic-in/unemp पर लॉगइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उसी माह से पात्र युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिस महीने उसने ऑनलाईन आवेदन किया हो, बशर्ते वह सभी औपचारिकताएं पूरी करता हो।

अग्निहोत्रे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप इस योजना को 15 अप्रैल, 2017 से कार्यान्वित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अपने वायदे के अनुसार प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 20 से 35 वर्ष के उन सभी युवाओं को भत्ता दिया जाएगा, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से दो लाख रुपये से कम है तथा जिन्होंने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान न्यूनतम दस जमा दो उत्तीर्ण किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पात्र युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से दो वर्ष तक यह भत्ता दिया जाएगा, जबकि शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से यह भत्ता दिया जाएगा।

अग्निहोत्री ने कहा कि योजना के अन्तर्गत पात्र बेरोजगार युवा हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला के लिए प्रारम्भ में पांच-पांच करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है।

बैठक में प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार, उद्योग तथा शिक्षा आर.डी. धीमान, श्रमायुक्त हिमांशु शेखर मिश्रा तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिये जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों, ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। .....चाणक्य

सम्पादकीय

राज्यपाल का सलाहकार होने का अर्थ

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रौफेसर डा0 शशीकांत शर्मा को अपना अवैतनिक सलाहकार नियुक्त किया है। डा0 शशीकांत एक अनुभवी पत्रकार हैं। उसी अनुभव के परिणाम स्वरूप वह दैनिक ट्रिब्यून से विश्वविद्यालय पहुंचे और अब विश्वविद्यालय के अध्यापन के साथ ही महामहिम राज्यपाल के सलाहकार भी हो गये हैं और राज्यपाल आचार्य डा0 देवव्रत स्वयं भी एक विद्वान चिन्तक है और उन्होने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रखे है। ऐसे में राजभवन के दायित्वों के निर्वहन के साथ ही सामाजिक कार्यो को भी बराबर चलाये रखने के लिये उन्हें कुछ सहयोगीयों और सलाहकारों की आवश्यकता रहेगी ही। संभवत: इसी मनोधारणा को अंजाम देने के लिये ही उन्होने पहले कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रौफैसर डा0 राजेन्द्र सिंह को बतौर ओएसडी राजभवन में तैनाती दी और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डा0 शशीकांत को अपना सलाहकार बनाकर लाये हैं। यह शायद इसलिये आवश्यक हुआ होगा क्योंकि डा0 राजेन्द्र सिंह अपना पूरा समय राजभवन को नहीं दे पा रहें है।

राजभवन की यह नियुक्तियां अपने में एक प्रशंसनीय कदम है। फिर डा0 शशीकांत प्रदेश की राजनीति से भली प्रकार से परिचित हैं। डा0 आचार्य देवव्रत प्रदेश के राज्यपाल केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद आये हैं और प्रदेश में पदभार संभालने के बाद यहां पर सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा मुख्य विपक्षी दल भाजपा में कैसे राजनीतिक रिश्ते हैं यह पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका है। इतना ही नहीं मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल के बीच रिश्तों का मुकाम यहां तक पहुंच गया कि वीरभद्र अपने खिलाफ चल रहे मामलों को सीधे धूमल, जेटली और अनुराग का षडयंत्र करार दे चुके हैं बल्कि स्पोर्टस बिल को लेकर वीरभद्र राजभवन की भूमिका पर भी अपनी नाराजगी जग जाहिर कर चुके हैं। राजनीतिक रिश्तों के इस परिदृश्य में यह डा0 शशीकांत ही थे जिन्होने वीरभद्र-धूमल और विक्रमादित्य को एक टेबल पर बिठाया। भले ही डा0 शशीकांत की इस भूमिका को लेकर सभी हल्कों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं उस समय रही है। आज भी डा0 शशीकांत उसी भूमिका को महामहिम राज्यपाल, मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल के बीच निभा पाते है या नहीं। क्योंकि इस नये पद पर उनका चयन इन तीनों की सहमति के बिना संभव नही हो सकता। इसलिये डा0 शशीकांत इस नयी भूमिका में कैसे उतरते हैं और यहां से कुलपति तथा राज्यसभा तक का सफर तय कर पाते हैं या नहीं यह सब आने वाले समय मे स्पष्ट हो जायेगा।

लेकिन इस नियुक्ति से जो अन्य सवाल उभरे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। डा0 शशीकांत की नियुक्ति की फाईल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदित होकर राजभवन पहुंची है। सामान्य प्रशासन स्वयं मुख्यमन्त्री देख रहे हैं। ऐसे में पहला सवाल यह आता है कि क्या सरकार बिना वेतन के नियुक्ति पत्र दे सकती है? क्योंकि सांकेतिक रूप से एक रूपया वेतन तो हो सकता है या फिर एक पद के साथ दूसरे पद का अतिरिक्त दायित्व कानून की नजर में भी सवाल उठायेगा क्योंकि राज्यपाल, मुख्यमन्त्री या किसी भी मन्त्री का अवैतनिक सलाहकार होने के लिये दर्जनों लोग सामने आ सकते हैं फिर अवैतनिक दायित्व निभाते हुए प्रशासनिक गोपनीयता का निर्वहन कैसे और कितना अपेक्षित व संभव हो सकता है यह दूसरा बड़ा सवाल होगा।

इसी के साथ तीसरा सवाल यह है कि संविधान में राज्यपाल के लिये "To aid and advise" पूरा मन्त्रीमण्डल है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन की सूरत में मन्त्रीमण्डल नही रहता है तब वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया जाता है। क्योंकि सलाहकार और ओएसडी के पदनामो में भी भारी प्रशासनिक अन्तर रहता है। ऐसे में क्या राजभवन और राज्यपाल को मन्त्रीमण्डल और पूरे प्रशासनिक तन्त्र की सलाह पर भरोसा नहीं रहा है जिसके कारण राज्यपाल को अलग से मन्त्रीमण्डल के समानन्तर सलाहकार की आवश्यकता आ खड़ी हुई है। राज्यपाल का सलाहकार होने का बड़ा व्यापक अर्थ है क्योंकि संविधान के अनुसार राज्यपाल ही सरकार को ''मेरी सरकार'' कह कर संबोधित कर सकता है दूसरा कोई नही। ऐसे में राज्यपाल का सलाहकार पूरे मन्त्रीमण्डल और प्रशासनिक तन्त्र का समानन्तर बन जाता है।

हिमाचल का 2023 तक क्षय रोग मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य

क्षयरोग एक बहुत पुरानी बीमारी है, जिसका उपचार आज चिकित्सा विज्ञान के सफल प्रयासों के कारण संभव हो सका है। समय रहते इस बीमारी का पता न चलने पर यह घातक सिद्ध हो सकती है। राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1962 में आरम्भ किया गया तथा बाद में इसे संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1995 में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से प्रायोगिक परियोजना के तौर पर संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) आरम्भ किया गया तथा वर्ष 2002 तक पूरे प्रदेश में इसे लागू किया गया।

प्रदेश में प्रति वर्ष क्षयरोग के लगभग 15000 नए मामले दर्ज किए जाते हैं, जबकि लगभग 9000 टी.बी. रोगी निजी क्षेत्र से उपचार के लिए आते हैं। यह संतोषजनक बात है कि हिमाचल प्रदेश में टी.बी. के मामलों का पता लगाना तथा उपचार करने की दर राष्ट्रीय दर से काफी बेहतर है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टी.बी. मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है जबकि हिमाचल ने इस लक्ष्य को वर्ष 2023 तक हासिल कर देश का पहला टी.बी. मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।

राज्य सरकार समाज को टी. बी. मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आरएनटीसीपी को समूचे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। इसे प्राथमिकता प्रदान करते हुए राज्य में 'मुख्यमंत्री क्षयरोग योजना' की घोषणा की गई है। हमीरपुर से शुरूआत करते हुए कांगड़ा के धर्मशाला तथा मण्डी में 1998 में यह कार्यक्रम लागू किया गया। इसी तरह पहली जुलाई, 2000 से शिमला, सोलन तथा सिरमौर जिलों में सेवाएं आरम्भ की गई। इन तीन जिलों को सामुहिक रूप से दूसरे चरण में शामिल किया गया। शेष 6 जिलों में से लाहौल-स्पिति, ऊना तथा कुल्लू में वर्ष 2001 की पहली तिमाही तथा बिलासपुर में वर्ष 2001 की दूसरी तिमाही में यह सेवाएं आरम्भ की गई।

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में एक टी.बी. अस्पताल, 12 जिला टी. बी. केन्द्र, 72 टी.बी. इकाईयां, 208 माइक्रोस्कोपिक केन्द्रों को क्रियाशील बनाया गया है। 9 जिलों में सीबीएनएएटी मशीनें स्थापित की गई है तथा कुल्लू, रिकांगपिओ, केलांग, रामपुर व पालमपुर के लिए चार अतिरिक्त मशीनें स्वीकृत करवाई गई हैं। प्रदेश ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, नागरिक अस्पताल नूरपुर, पांवटा साहिब तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालागढ़ के लिए चार अतिरिक्त मशीनों की मांग की है।

वर्ष 2017 में आरएनटीसीपी के तहत 11.53 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इस वित्त वर्ष में 5.84 करोड़ रुपये स्वीकृत

किए गए, जिसमें से 7.24 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 15.79 करोड़ रुपये की निधि का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

प्रदेश के जिला सोलन में धर्मपुर स्थित टी.बी. अस्पताल बहुत पुराना एवं प्रसिद्ध टी.बी. आरोग्य अस्पताल है। यहां आरएनटीसीपी के कई घटक हैं, जैसे टी.बी. रोगी वार्ड, आईआरएल लैब, राज्य दवाई भण्डारण, टी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र तथा डीआरटीबी केन्द्र इत्यादि। राष्ट्रीय दलों ने इस अस्पताल का दौरा करने के उपरान्त इसे 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के तौर पर विकसित करने का सुझाव दिया, जिससे न केवल हिमाचल, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी लाभ होगा। इसके स्तरोन्नयन के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की मांग की गई है।

राज्य के सभी अधिकृत माईक्रोस्कोपी केन्द्रों में स्पुटम माईक्रोस्कोपी (थूक की जांच) नि:शुल्क की जा रही है। सभी डायरेक्ट ऑबजरवेशन आफ ट्रीटमेंट (डॉट) केन्द्रों में प्रत्येक टी.बी. रोगी को दवाईयों के पूरे कोर्स के लिए गुणात्मक दवाईयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। रोग का पता लगाने के लिए प्रमाणित लाईन प्रोब ऐसे (एलपीए) लैब तथा इसके बाद की गतिविधियों के लिए प्रमाणित सौलिड कल्चर लैब को आईआरएल धर्मपुर में क्रियाशील बनाया गया है। आईजीएमसी शिमला में लिक्विड कल्चर लैब कार्यशील है।

आरएनटीसीपी के पांच घटकों में राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता के माध्यम से निधि, पर्याप्त व कुशल कर्मचारी, खरीद तथा सहयोग को सुनिश्चित बनाया गया है। माईक्रोस्कोपी के तहत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में रोगियों में क्षय रोग का पता लगाने की क्रिया चल रही है। शॉर्ट कोर्स कीमोथैरेपी (एससीसी) के लिए दवाईयों की निरन्तर आपूर्ति करवाई जा रही है। रोगियों को स्वास्थ्य तंत्र से जुड़े प्रशिक्षित सर्वेक्षकों द्वारा सही समय तथा स्थान पर सुविधाजनक तरीके से डॉट की दवाईयों को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, रोगियों में रोग का पता लगाने, उन्हें सही जानकारी देने, उनके स्वास्थ्य की प्रगति को जांचना तथा प्रत्येक रोगी के उपचार के नतीजे पर ध्यान देने के लिए एक गहन प्रणाली विकसित की गई है।

विजन 2035: 20 साल में क्या होना चाहेंगे हम?

पानी की लीकेज हमारे पेयजल आपूर्ति की एक बड़ी समस्या है। काश कि पानी की पाईपलाइनें भी हमारे शरीर की नसों की तरह होतीं, जैसे हमारे शरीर में कट लगने पर निकलने वाले खून को रोकने के लिए खून खुद ही थक्का जमा लेता है, वैसे ही पाइप खुद की मरम्मत कर ले तो कितना अच्छा रहे। इसी तरह सड़क पर दरार व खड्डे बन जाएं तो वे खुद ही उसे ठीक कर लें जैसे कोई घाव भर जाता है। आपको भूख लगी है और शरीर को जिस पोषक तत्व की जरूरत है और जैसा स्वाद आप चाहते हैं वही आपको आहार में मिले तो कितना अच्छा हो। सड़क पर जाम मिले तो कार हवा में उड़ने लगे, रास्ते में पानी भरा मिले तो तैरने लगे।

हमारी चाहतों की ये कुछेक मिसालें हैं जिन्हें देश के टेक्नोलॉजी विजन-2035 में शामिल किया गया है। इसके लिए सेल्फ हीलिंग पाइप्स, सेल्फ हीलिंग रोड्स, इंटरएक्टिव स्मार्ट फूड और एंफिबियन "लाईंग कार जैसी प्रौद्योगिकी के विकल्प भी विजन में पेश किए गए हैं। आज से दो दशक बाद भारतीय क्या होना चाहेंगे? इस सोच को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था टेक्नोलॉजी इंफोर्मेशन फारकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल (टाईफैक) ने 'टेक्नोलॉजी विजन-2035' दस्तावेज तैयार किया है। पिछले साल मैसूर में हुए इंडियन साइंस कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जारी किया था। टाईफैक के चेयरमैन व न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्रो. अनिल काकोडकर के निर्देशन में तैयार हुए इस दस्तावेज में देश की आकांक्षाओं की पहचान करने के साथ ही उन्हें पूरा करने वाले प्रौद्योगिकी विकल्पों का खाका पेश किया गया है। इससे पहले 1996 में टाईफैक ने विजन-2020 तैयार किया था, तब डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टाईफैक के चेयरमैन थे।

प्रो. काकोडकर के मुताबिक विजन-2035 देश के बारे में भविष्यवाणी, दूरदर्शी परिकल्पनाओं और मनसूबों का दस्तावेज नहीं है, यह दस्तावेज बताता है कि अभी हम कहां है? अगले दो दशक में हम कहां जाना चाहते हैं? यहां से वहां पहुंचने का श्रेष्ठ तरीका क्या है? कौन-सी तकनीक हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकती है? इस रास्ते में क्या-क्या चुनौतियां हैं और क्या-क्या तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं? इस दस्तावेज का विजन स्टेटमेंट ही 'प्रौद्योगिकी के जरिए हर भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित करना, समृद्धि बढ़ाना और पहचान को मजबूत करना है।'

टाईफैक के मुताबिक डॉ. कलाम के निर्देशन में तैयार हुए टेक्नोलॉजी विजन-2020 में 1996 का दृष्टिकोण था और विजन 2035 में 2014-15 का दृष्टिकोण है। विजन को 2035 को तैयार करने में करीब तीन वर्ष लगे और 5000 से ज्यादा विशेषज्ञों का परामर्श लिया गया। यह विजन दस्तावेज देश के 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार हुआ है।

डू हार्वेस्टिंग: वाटर हार्वेस्टिंग तो आपने सुना होगा, विज्ञानी अब डू (ओस) हार्वेस्टिंग की तकनीक लैब से फील्ड तक लाने में जुटे हैं। हालांकि अभी इसमें टारगेट रिसर्च की जरूरत है।

सेल्फ हीलिंग पाइप्स: पाइप में टूटफूट को पानी में पॉलीमैरिक व इलास्टोमैरिक पदार्थ की मदद से मरम्मत करने की तकनीक की परिकल्पना की जा रही है।

इन-सीटू वाटर प्यूरिफिकेशन इन पाइपलाइन: बहते पानी को ही उपचारित करने की तकनीक के सिलसिले में टारगेटेड रिसर्च की बात की जा रही है।

इंटरएक्टिव व स्मार्ट फूड: शरीर को जिस पोषक तत्व की जरूरत है और आप जो स्वाद पसंद करते हैं, उसके मुताबिक ऑन डिमांड फूड भोजन की परिकल्पना नैनो-कैप्सूल में मौजूद "लैवर व विटामिन के आधार पर की जा रही है।

ई-सेंसिंग: किसी भी आहार की गंध व स्वाद ई-नोज व ई-टंग के जरिए महसूस करने की तकनीक भी भविष्य की प्रौद्योगिकी है।

यूनीवर्सल हेल्थकेयर एंड पब्लिक हाइजिन

नैनो-रोबोट्स: कोशिका के आकार के रोबोट्स जो शरीर में अकेले या वैसे ही हजारों रोबोट की मदद से तय काम करें।

मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वैक्सीन: मलेरिया व टीबी जैसी बीमारियां मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होने के चलते फिर से फैल रही है, उनके लिए नई वैक्सीन के लिए शोध होगा।

रीजेनरेटिव थैरेपी: छिपकली की पूंछ कट जाती है तो फिर से पैदा होती है। लेकिन मनुष्य के शरीर में ऐसा नहीं होता। अब ऐसे उपचार की परिकल्पना की जा रही है कि अंग कटने पर वह अंग फिर से उग आए।

सातों दिन चौबीस घंटे बिजली

माइक्रोबियल "यूल सेल: इस सेल में गंदे पानी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोकैमिकली एक्टिव बैक्टिरिया के मेटाबोलिक गतिविधि के जरिए बिजली पैदा की जाती है।

थोरियम से बिजली: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जरिए थोरियम से बिजली बनाने के लिए टारगेटेड रिसर्च की जरूरत बताई गई है।

गैस हाइड्रेट: बर्फ-पानी का एक पिंजड़े जैसी जाली जिसके अंदर मीथेन के अणु फसे हो जो गर्म होने या दबाव कम होने पर पानी व प्राकृतिक गैस में बदल जाएं।

एंटीग्रेविटी डिवाइस: गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करने वाले ऐसे उपकरण जो निर्माण में मददगार हो सकें। यह प्रौद्योगिकी अभी परिकल्पना के स्तर पर है।

बायो कंक्रीट: सेल्फ हीलिंग कंक्रीट खुद-ब-खुद दरारों को भर सकते हैं यह इनमें मौजूद एक खास किस्म के बैक्टिरिया के जरिए होता है। इस पर रिसर्च भी चल रहा है और परिकल्पनाएं भी।

ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस: ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें दिमागी तरंगों से ही कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित किया जाता है।

रियल टाइम ट्रांसलेशन: शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए जरूरी होगा कि वह हर भारतीय भाषा में तत्काल उपलब्ध हो।

एंफिबियन एंड "लाइंग व्हीकल: शहर के जाम को देखते हुए ऐसे उभयवाहनों के शोध को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

इंटेलीजेंट व सेल्फ हीलिंग रोड्स: सड़क पर दरारें व खड्डों को भरने के लिए सेल्फ हीलिंग रोड्स की परिकल्पना की गई है।

जे-पोड, हाइपर लूप: यह आवागमन के लिए हाई स्पीड प्रेशर टयूब की तकनीक है।

मैगलेव: रेल ट्रैक को बिना छुए मैग्नेट की मदद से दौड़ती ट्रेन की तकनीक है।

- शून्य ड्रापआउट, शत- प्रतिशत साक्षरता, उपकरणों व मशीनों के इस्तेमाल की कुशलता।
- हर घर को पाइप से पीने के पानी की आपूर्ति।
- हर ग्राम पंचायत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर जिले में एयर एंबूलेंस व ट्रामा केयर की सुविधा के साथ मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल।
- कोई भी भारतीय कुपोषण का शिकार नहीं, महिला व बच्चे एनिमिया मुक्त।
- बच्चे को जन्म देते समय माता की मृत्युदर प्रति एक लाख में 15 से भी कम।
- पांच साल से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर प्रति एक हजार में 6 से कम।
- भोजन की शून्य बर्बादी।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व सेवा से जुड़ी हर नागरिक की डिजिटल पहचान।
- हर पंचायत में हैलीपेड।
- देश के किसी भी स्थान की राष्ट्रीय राजधानी से दूरी आठ घंटे, प्रादेशिक राजधानी से दूरी 5 घंटे और जिला मुख्यालय से दूरी तीन घंटे से ज्यादा नहीं हो। किसी भी मेट्रोपॉलिटन में दो स्थान की दूरी महज एक घंटे।
- पैदल यात्रियों के शून्य सड़क हादसे।
- घर से एक किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता।
- तेज व त्रुटिहीन क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन।
- देश में सर्वत्र इंटरनेट की उपलब्धता।
- राष्ट्रीय स्तर पर 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन, इसमें से 50 फीसदी रिन्युअल (पानी, हवा व सौर) संसाधनों से।

'अनिरुद्ध शर्मा'

- ट्रांसमिशन व वितरण की हानि 3 फीसदी से भी कम।
- 30 फीसदी इलाके में वन क्षेत्र।
- शून्य झोपड़पट्टी।
- चुनाव में सुनिश्चित सहभागिता।

बॉक्स-2

2035 के लिए महाचुनौतियां

- पोषण सुरक्षा गारंटी
- सभी नदियों व जलाशयों में पानी की मात्रा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- तेजी से घट रहे संसाधनों की सुरक्षा
- लर्नर सेंट्रिक, लैंग्वेज न्यूट्रल और सबके लिए उपलब्ध समग्र शिक्षा
- क्लाइमेंट पैटर्न के अनुकूल होना
- कोयला, तेल व गैस ईंधनों के बिना मेक इन इंडिया
- लेह व तवांग तक रेलवे लाईन बिछाना
- इको-फ्रेंडली कचरा प्रबंधन

-पसूका-

भारतीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन के शिखर पर

एक दशक के बाद मई 2014 में एनडीए सरकार के कार्यभार संभालने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक अनुकरणीय मामला प्रस्तुत कर रही है कि किस प्रकार बिना किसी हायतौबा मचाए प्रभावी रूप से कार्य किया जा सकता है। सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और यह बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016, रीयल इस्टेट सेक्टर और पिछले नवंबर में कालेधन धारकों पर एक बड़ी कार्रवाई के रूप में पांच सौ और एक हजार रुपये के बड़े नोटों के विमुद्रीकरण सहित बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र में बड़े आर्थिक सुधार लाने में समर्थ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत दुनिया में एक सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहा। अंतिम अनुमानों के अनुसार 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.9 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी हुई है, जबकि 2014-15 में यह 7.2 प्रतिशत रही थी। यह वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अधीन एनडीए सरकार का शुरूआती वर्ष था। पहले ही वर्ष में अर्थव्यवस्था को विरासत में मिले मुद्दों को सहन करना पड़ा और पिछली सरकार द्वारा विरासत में मिली गड़बड़ी को भी साफ करना पड़ा।

इसी दौरान 2016-17 के लिए जीडीपी में बढ़ोत्तरी के दूसरे अग्रिम अनुमान को 7.1 प्रतिशत आंका गया है। रीयल सेक्टर गतिविधियों के मामले में कुछ विस्थापन हो सकते हैं। लेकिन मुद्रा सुधार कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था को कम नकदी प्रणाली, कर अनुपालन में बढ़ोत्तरी और आतंक वित्त पोषण की स्रोत नकली मुद्रा के खतरे को न्यूनतम करने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह याद रखने की जरूरत है कि सरकार के पहले दो वर्षों में एक के बाद एक सूखा पड़ने के कारण कृषि क्षेत्र के सामने गंभीर संकट पैदा हुआ और इस कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले दो वर्षों में कमजोर कृषि विकास और लगातार तीसरे वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में उत्साहहीन वृद्धि होने से भी अर्थव्यवस्था की समग्र विकास गति कमजोर नहीं हुई है, बल्कि यह अब सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित 60 प्रतिशत से भी अधिक है।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनकी वैश्विक जोखिम मानदंडों के अनुरूप पूंजी जरूरतों को पूरा करने और क्रेडिट वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इन बैंकों में पूंजी लगा रही है। किसानों को लागत प्रभावी ऋण देने और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट की पहुंच बढ़ाने सहित गरीबों को आवास ऋण देने के प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल में की गई घोषणाओं से अर्थव्यवस्था से गरीब तबकों के लिए संस्थागत ऋण के दायरे का विस्तार होगा। इसके साथ-साथ उत्पादक गतिविधियों के लिए लघु उद्यमियों के लिए संरक्षित माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) सक्रिय है। व्यक्तियों के लिए 'आधार' द्वारा मजबूत की गई बायोमैट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान प्रणाली और डिजिटल भुगतान तंत्र के तेजी से विस्तार के लिए सरकार के वित्तीय समावेशन के प्रयासों को गति प्रदान करेगी।

हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति को व्यापक रूप से उदार बनाने के कारण रोजगार और नौकरियों के सृजन में बढ़ावा मिल रहा है। एक नकारात्मक छोटी सूची को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र अब स्वचालित स्वीकृति मार्ग अपना रहे हैं। भारत अब एफडीआई के लिए विश्व की एक पूर्ण रूप से खुली अर्थव्यवस्था बन गया है। अप्रैल-दिसंबर, 2016-17 के दौरान सकल एफडीआई प्रवाह बढ़कर 31.18 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 27.22 बिलियन अमरीकी डॉलर था। आर्थिक मूल सिद्धांतों की बढ़ती हुई ताकत ने भारत को निवेशकों के लिए एक प्रिय गंतव्य स्थल बना दिया है।

24 मार्च, 2017 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 367.93 बिलियन अमरीकी डॉलर था। वर्ष 2014-15 और 2015-16 में चालू लेखा घाटा (सीएडी) क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत रहना इसके अन्य अनुकूल बिंदु हैं।

अर्थव्यवस्था की सार्वजनिक निवेश जरूरतों और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर व्यय करने के बारे में कोई समझौता किए बिना राजकोषीय समेकन के स्थिर मार्ग को अपनाते हुए भारत का सकल वित्तीय घाटा (जीएफडी) वर्ष 2016-17 में 3.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017-18 के लिए जीएफडी 3.2 प्रतिशत आंका गया है, जिसके साथ आगामी वर्ष में इसे 3 प्रतिशत अर्जित करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। सुस्त निजी निवेश और कम वैश्विक विकास को देखते हुए अधिक सार्वजनिक व्यय की बढ़ती हुई जरूरतों के कारण सार्वजनिक निवेश में अत्यधिक कटौती को रोकने के लिए वित्तीय समेकन की दिशा में मजबूत दृष्टिकोण को तर्कसंगत रूप से अपनाया जा रहा है।

केंद्रीय बजट 2017-18 में बुनियादी ढांचे के साथ-साथ ग्रामीण, कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए संसाधन के आवंटन में काफी बढ़ोत्तरी की गई है। सरकार व्यय और विमुद्रीकरण के कारण बैंकों में जमा की गई भारी धनराशि से प्राप्त उच्च कर प्राप्तियों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देकर वित्तीय लचीलेपन को जारी रखेगी। भारत एक जुलाई, 2017 से वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) लागू करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। जीएसटी से कराधान दक्षता में सुधार सुनिश्चित होगा तथा व्यापार करने में आसानी होने से भारत में एक साझा बाजार उपलब्ध होगा।

वर्ष 2014 से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता बढ़ाने के लिए मजबूत संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए व्यवस्थित और स्थिर प्रयास किए हैं। वस्तु और सेवाकर अधिनियम, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम 2016 सब्सिडियों को युक्तिपूर्ण बनाना और नये कॉरपोरेट दिवालियापन ढांचे के लिए इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 अधिनियमन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) सहित दूरगामी सुधार शुरू किए गए हैं।

अन्य विशिष्ट नीतिगत पहलों में पीपीपी के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल लागू करना, खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति की घोषणा और निर्माण क्षेत्र में मध्यस्थता में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को निर्देश देना शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार कार्य को आसान बनाने में भारत की रैंकिंग में लगातार प्रगति, भारत सरकार के "लैगशिप कार्यक्रम मेक इन इंडिया से नई प्रकियाओं, नये बुनियादी ढांचे, नये क्षेत्रों और उद्यमी उत्साह को बढ़ाना देने की नई मानसिकता में लगातार प्रगति हुई है। भारत निश्चित रूप से प्रमुख बदलाव के शिखर की ओर अग्रसर है।

''जी. श्रीनिवासन''

HP कैबिनेट:31 मार्च को तीन साल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का एलान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा चम्बा में आयोजित हिमाचल दिवस समारोह में की गई घोषणा को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2017 को तीन वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूरा करने के उपरांत अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार मंत्रिमण्डल ने ग्राम पंचायतों में कार्यरत चौकीदारों की अनुदान राशि 2050 रुपये से बढ़ाकर 2350 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से 3226 चौकीदारों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

मंत्रिमण्डल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 450 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को एक माह के सेवाकाल पर एक दिन के आकस्मिक अवकाश के अलावा केलेंडर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश व पांच दिन का विशेष अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। दो से कम जीवित बच्चों के साथ अनुबंध आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारी को 135 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकारए अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारी जीवित बच्चों की संख्या के बावजूद अधिक से अधिक 45 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी।

बैठक में रोगी कल्याण समितियों के पैरा मेडिकल स्टॉफ की सेवाएं 8 वर्ष के सेवाकाल के बजाए चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर नियमित करने का निर्णय लिया गया। जिसमें सरकारी अनुबंध के अन्तर्गत तीन वर्ष तथा रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत एक वर्ष शामिल है।

मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2017 के दौरान विभाग में दी गई सेवाओं के लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों (जनरल विंग) को छूट देते हुए तदर्थ आधार के साथ अनुबंध को मिलाकर 4-9-14 का वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने पहली जनवरी, 2018 से चिकित्सा अधिकारियों को नियमित आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 31 मार्च, 2017 तथा 30 सितम्बर, 2017 को 8 साल का निरन्तर सेवाकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मियों की सेवाएं दैनिक भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल हमीरपुर के अन्तर्गत ऊना में नया राष्ट्रीय उच्च मार्ग उपमण्डल तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग उपमण्डल चम्बाघाट को सिरमौर जिले के सराहन में स्थानान्तरित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के कॉलम 11 के सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों के साथ निजी सचिव के पद प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में एचपी लोक निर्माण विभाग मण्डल न. 2 मण्डी में कनिष्ठ अभियन्ताओं के सात पदों का युक्तिकरण कर इनका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों में किए जाने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग मण्डल नम्बर.1 बिलासपुर के अन्तर्गत कुठेड़ा में लोक निर्माण विभाग का नया उपमण्डल खोलने को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग मण्डल नम्बर-1 शिमला के अन्तर्गत मशोबरा में लोक निर्माण विभाग का नया उपमण्डल खोलने को मंजूरी प्रदान की। लोक निर्माण विभाग मण्डल नम्बर-दो आईजीएमसी शिमला को मण्डल नम्बर

तीन के साथ जोड़ने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के माध्यम से 30 सीटों की क्षमता की 25 बसें, 37 सीटों की 250 बसें तथा 47 सीटों की 50 बसें खरीदने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप एचपी मदर टेरेसा मातृ असहाय संबल योजना के अन्तर्गत प्रति शिशु वार्षिक अनुदान 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में पशुपालन विभाग में पदों के युक्तिकरण का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त निदेशक का एक पद तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों के चार पदों को गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र से कार्यात्मक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सा अधिकारियों के सात पदों को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों में स्तरोन्नत किया गया।

सहायक निदेशक के एक पद को उप-निदेशक और सहायक निदेशक के एक पद को संयुक्त निदेशक स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मौजूदा दैनिक भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने की मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री के बजट वायदे के अनुसार पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायकों के 200 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। ये पद मरूथल विकास परियोजना व जलागम परियोजनाओं की मौजूदा श्रमशक्ति से भरे जाएंगे।

बैठक में वन विभाग में अनुबन्ध आधार पर वन रक्षकों के 174 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती से कृषि विस्तार अधिकारियों के 60 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग में अनुबन्ध आधार पर लिपिकों के बैक लॉग के 31 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर दवा निरीक्षकों के 12 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया।

बैठक में जनजातीय विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर सांख्यिकी सहायकों के दो पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सेकेण्डमेन्ट पर प्रोग्रामर श्रेणी-1 का एक पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण में अनुबन्ध आधार पर चार पद तथा प्रतिनियुक्ति सेकेंडमेंट पर पटवारी का एक पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई

मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक कैमिकल मेकेनिकल) श्रेणी. 1 के तीन रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में व्यावसायिक शिक्षा के तहत 7 पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के द्रंग के नारला स्थित राजकीय महाविद्यालय में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर सहायक प्रोफेसर भौतिक विज्ञान का एक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबन्ध आधार पर वरिष्ठ आशुलिपिक का एक पद भरने व सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में अनुबन्ध आधार पर रेडियेशन सेफ्टी अधिकारी का एक पद, मेडिकल फिजीसिस्ट के दो पद तथा भौतिकी टैक्निशियन के चार पदों को सृजित करने व भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में अनुसूचित जनजातीय श्रेणी से प्रधानाचार्य नर्सिंग अधिकारी का एक पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लडभडोल में नौ पद सृजित करने को अपनी मंजूदी प्रदान की।

बैठक में हाल ही में नवसृजित खण्ड विकास कार्यालयों में 8 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निदेशालय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रोग्रामर का एक पद तथा प्रत्येक जिले के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर का एक-एक पद यानि कुल 12 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के घनागुघाट स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करने तथा इसमें चिकित्सा अधिकारी का एक पद, फार्मासिस्ट का एक पद और चतुर्थ श्रेणी के एक पद को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिला के खण्ड द्रंग के सिंयू में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की ग्राम पंचायत थालटुखोड के टिक्कन स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र को स्तरोन्नत करने तथा प्रत्येक के लिए चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट व चतुर्थ श्रेणी का एक-एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जुब्बड़हट्टी के खलग में आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में क्रिटिकल केयर के अंतर्गत सुपर स्पैशियलिटी निजी अस्पतालों को सम्बद्धता प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में केवल तीन चिकित्सा एजेंसियां इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला, टांडा मेडिकल, कालेज कांगड़ा तथा पीजीआई चण्डीगढ़ ही क्रिटिकल उपचार सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। इससे अब निजी अस्पताल हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के साथ समझौते में प्रवेश करेंगे और पूर्व निर्धारित पैकेज दरों पर सघन देख-रेख (क्रिटिकल केयर) सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने किन्नौर जिला की निचार तहसील के पुनाग में 40 बिस्तरों का अस्पताल बनाने के लिए जेपी कड़छम वांगतू लिमिटेड को सरकारी भूमि पट्टे पर देने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत हिमाचल सेवा सदन सोसाईटी के अंतर्गत सोसायटी पंजीकरण संघ के अुनसार चण्डीगढ़ के सेक्टर 24-डी स्थित हिमाचल सराय के संचालन एवं प्रबन्धन की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री द्वारा अपने विभिन्न दौरों के दौरान की गई घोषणाओं के अनुरूप प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत तरयांबली में नए पटवार वृत खोलने को मंजूरी दी ।

बैठक में शिमला जिला की कुमारसेन तहसील के करेवथी तथा उपतहसील कोटगढ़ के थानाधार में पटवारियों के दो पदों सहित दो नए पटवार वृत खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में चम्बा जिला के पुखारी में नई उपतहसील खोलने को भी अनुमति प्रदान की गई।

बैठक में मण्डी जिला के राजकीय उच्च पाठशाला तरयांबली, राजकीय उच्च पाठशाला सरोंज, राजकीय उच्च पाठशाला धरमेड़ तथा राजकीय उच्च पाठशाला स्वाड़ को स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त प्रधानाचार्यों के तीन पद तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों के 15 पद सृजित करने एवं भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को मिला B++ ग्रेड

कांगड़ा/शैल। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् यानि की नैक (NAAC) ने हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सी.यू.एच.पी) को B++ की ग्रेडिंग दी है। हाल ही में 24 से 27 अप्रैल के बीच नैक की टीम ने सी.यू. एच.पी का दौरा किया और पर चल रही पठन पाठन से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण किया था। इसी के अधार पर सीयूएचपी को यह ग्रेडिंग मिली है। प्रोफेसर एच. आर. शर्मा, Director, Internal Quality Assurance Cell (IQAC) ने कहा कि हम इससे अच्छी ग्रेडिंग की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि स्थाई कैंपस ना होने के बावजूद हमारे संस्थान ने शोध और शैक्षणिक जगत

में बहुत अच्छा काम किया है। प्रो. शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय को यह ग्रेडिंग नैक टीम के आगे रखे गए पुख्ता साक्ष्यों के अधार पर मिली । उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार अब और ज्यादा जोश से काम करेगा ताकि आगामी सालों में ग्रेडिंग में और सुधार लाया जा सके।

नैक की टीम मुख्यत: 10 आधार पर विश्वविद्यालय एवं उच्च संस्थाओं को ग्रेडिंग करता है। इसकी स्थापना 1994 में यूजीसी के द्वारा की गई थी। यह एक स्वंतत्र निकाय के रूप में कार्य करती है। इसका हेडक्वाटर बेंगलुरु में है। नैक मुख्यत 4 तरह की ग्रेडिंग देता है 3.1. 4.00 को ए ग्रेड, 2.1.-3.00 को बी ग्रेड 1.51-2.00.A सी.यू.एच.पी को नैक की टीम ने 2.78 अंक दिए और B++ की ग्रेडिंग दी। सी.यू.एच.पी केवल 0.14 अंकों के अंतर से A ग्रेड से चूक गई।

नैक टीम के दौरे के दौरान छात्रों से जुड़े कई अहम मुद्दे भी सामने आए थे। छात्रों ने नैक टीम के साथ संवाद में कहा था कि उन्हें कैंपस पर सिर्फ और सिर्फ थ्यूरी पर जोर दिया जाता है और प्रैक्टिल वर्क पर कोई तव्वजों नहीं दी जाती है। साथ ही यहां पर सोशल वर्क के शोधार्थियों ने नैक की टीम को उनके विषय में गाइड्स के ना होने की शिकायत की। इन छात्रों का कहना है कि गाइड्स के ना होने की वजह से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। साथ ही चार साल गुजर जाने की वजह से अब उन्हें खासी चिंता सताने लगी है।

हिमाचल प्रदेश सरकार
5 वाँ साल
उपलब्धियाँ बेमिसाल

मुख्यमंत्री
श्री वीरभद्र सिंह के मार्गदर्शन में
बना स्वस्थ और खुशहाल हिमाचल

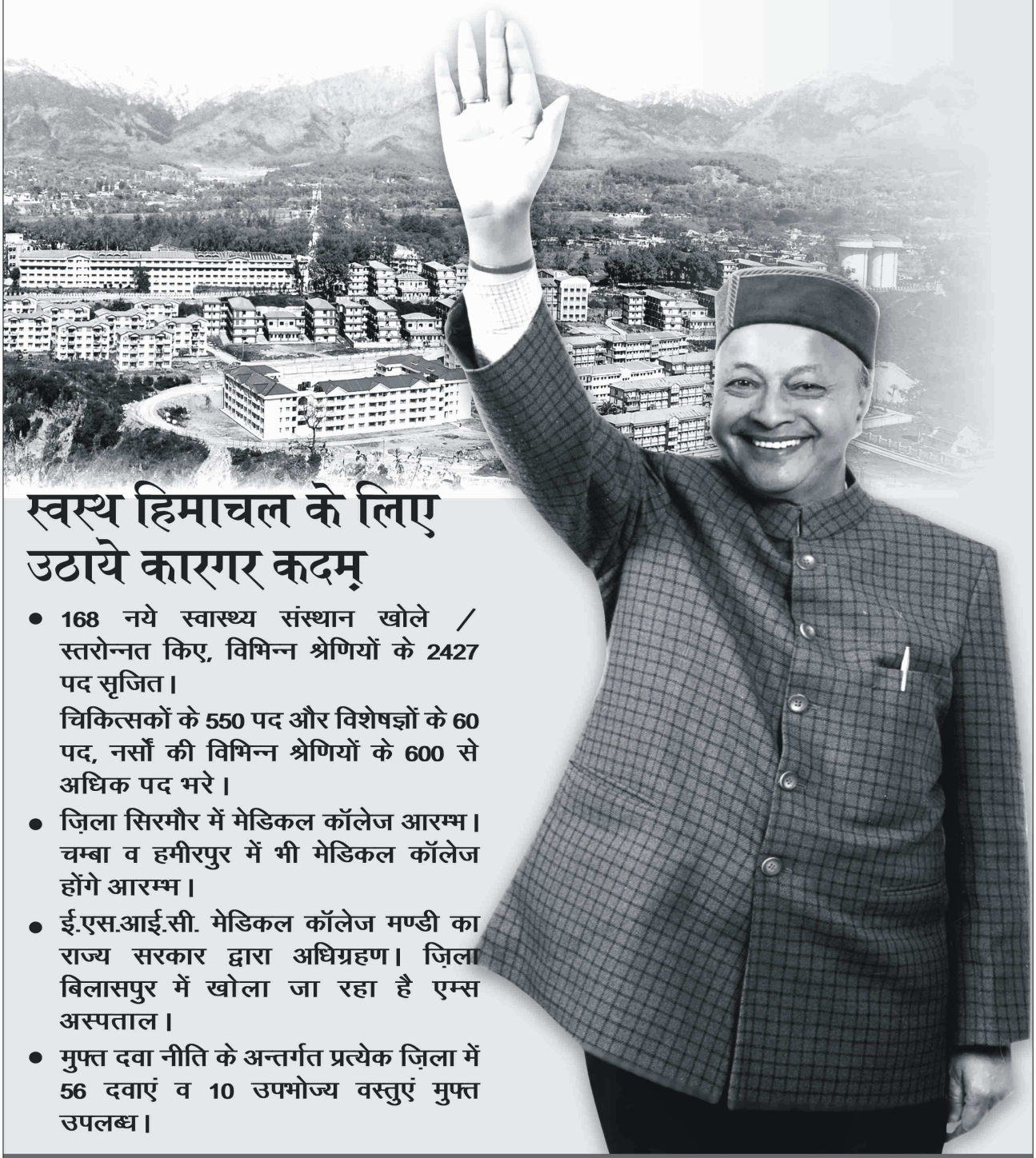

स्वस्थ हिमाचल के लिए
उठाये कारगर कदम्

- 168 नये स्वास्थ्य संस्थान खोले / स्तरोन्नत किए, विभिन्न श्रेणियों के 2427 पद सृजित।
  चिकित्सकों के 550 पद और विशेषज्ञों के 60 पद, नर्सों की विभिन्न श्रेणियों के 600 से अधिक पद भरे।
- ज़िला सिरमौर में मेडिकल कॉलेज आरम्भ। चम्बा व हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज होंगे आरम्भ।
- ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज मण्डी का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण। ज़िला बिलासपुर में खोला जा रहा है एम्स अस्पताल।
- मुफ्त दवा नीति के अन्तर्गत प्रत्येक ज़िला में 56 दवाएं व 10 उपभोज्य वस्तुएं मुफ्त उपलब्ध।

सुदृढ़ स्वास्थ्य संस्थान - स्वस्थ हिमाचल की पहचान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, हिमाचल सरकार

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 - 2805015, 94180 - 15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

कसौली के छः होटलों का एनजीटी ने लिया कड़ा संज्ञान, संबद्ध विभागों के अधिकारियों को किया तलब

शिमला/शैल। सोलन के कसौली में पर्यावरण के सारे मानदण्ड़ो को अंगूठा दिखाते हुए बने बहुमंजिला होटलों के निर्माण पर एनजीटी ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस संबन्ध में कसौली की संस्था स्पोक (Society for Preservation of Kasauli and its Environs) ने होटल वर्डव्यू रिजार्ट, चेलेसा रिजार्ट पाईन व्यू, नारायणी गैस्ट हाऊस, नीलगिरी और दिवशिरवा के खिलाफ एनजीटी में मामला दायर कर रखा है। वर्ष 2015 में दायर हुए मामले पर 27 अप्रैल को एनजीटी ने बड़ी सख्त टिप्पणीयां की है। एनजीटी के मुताबिक सरकार के नगर नियोजन, पर्यटन और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारियों को अगली पेशी पर अदालत में तलब किया है। एनजीटी के मुताबिक सभी संबद्ध विभागों के अधिकारियों ने इन निमार्णो की ओर से आंखे बन्द कर रखी थी जिसके चलते हर तरह की अवैधता यहां पर घटी है।

यह है एनजीटी का आर्डर

Hotel Pine View

In relation to Hotel Pine View and Hotel Pine View– II, even today, after adjournment having been sought earlier, no document has been produced before us to show that these hotels had ever operated with the consent of the Board and their plans were approved in accordance with law.

It is clarified by the Learned Counsel appearing for the State, upon instructions from Ms. Leela Shyam, Town and Country Planner Department that there are two structures. One is three storied building which is connected with other four storied building, thus making a total of 7storied. The order issued on 01st March, 2017 which described seven storied unauthorized construction, in fact, means that. The Department of Town and Country Planning had come to know of the seven storied structure prior to August, 2010 and had issued a Notice on 31st August, 2010.

Thereafter, Notice was issued against unauthorized construction for third, fourth and fifth storied. The Noticees have constructed over two stories and a Notice was issued on 4th March, 2016. The Notice for disconnection of electricity was also issued subsequent to the Notice dated 4th March, 2016. The Noticees are present and they informed the Tribunal that no action was taken since August, 2010 till 2016 and only request for disconnection of facility was made.

Notice was given on 3rd December, 2008 and Department of Tourism was requested to deregister. In the said Notice, it was recorded that it has come to the notice of the undersigned, which was issued by Mr. Sandeep Sharma, Town and Country Planner, that Mr. Devender Bhandari has started raising construction of four storied, without prior approval.

Order

The Officers present from the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh are unable to answer the query of the Court. Let Town and Country Planner, Mr. Sandeep Sharma be present before the Tribunal, with complete records, on the next date of hearing.

Mr. Praveen Gupta, Sr. Environmental Engineer is present, who had granted the consent to the hotels. He had never visited the site before issuing the consent order dated 18th June, 2016.

Mr. Praveen Gupta and Mr. Anil Kumar, officers of the Board have produced the original records which have been directed to be retained in the court. We are shocked by the answers provided by the two officers to the queries of the Tribunal. According to them, there is no prescribed procedure in the Board for submission, processing and passing of the consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and any other matters falling in the jurisdiction of the Board. The Chairman and the Member Secretary of the Board who are present before the Tribunal stated that it is factually incorrect, as they have duly prescribed procedure for submission of Application, processing and passing of consent order.

Mr. Praveen Gupta and Mr. Anil Kumar, have submitted that no consent to hotels can be granted without actually verifying the intake and discharge from the said hotel. According to them, Hotel is a tourism industry. In the Application, it is noted that the industrial intake is zero. These officers did not verify the contents of the Application at all.

There is no inspection Report before the Tribunal which shows that actually inspection of the premises was conducted, even in the note put forward on 9th June, 2016. They shall be present on the next date of hearing.
Narayani Guest House

The owner has constructed six storied building as against the approved three storied and a parking floor.

बाली का एक पैर कांग्रेस तो दूसरा भाजपा में –विधायक दल की बैठक में उठा सवाल

बाली सहित राजेश धर्माणी, राकेश कालिया, रवि ठाकुर रहे गैर हाजिर निर्दलीय मनोहर धीमान भी नही आये

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के कुछ मन्त्रियों/विधायकों एवम् अन्य नेताओं को कांग्रेस से निकाल कर भाजपा में शामिल करवाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों यह आरोप लगाया है प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमन्त्री के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने। विक्रमादित्य के मुताबिक यह खेल केन्द्रिय मन्त्री चौधरी विरेन्द्र सिंह रच रहे हैं। स्मरणीय है कि विरेन्द्र सिंह जब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे तब उनके रिश्ते वीरभद्र सिंह से

कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे। विक्रमादित्य के इस आरोप के साथ ही प्रदेश के कुछ मन्त्रियों/विधायकों के नाम इस संद्धर्भ में अखबारों में भी उछले थे। जिसका किसी ने भी खण्डन नहीं किया था।

इसके अतिरिक्त जब सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामलें में ट्रायल कोर्ट में चालान दायर किया और ईडी ने महरौली स्थित फार्म हाऊस को लेकर दूसरा अटैचमैन्ट आदेश जारी किया तथा वीरभद्र सिंह को पूछताछ के लिये बुलाया उस दौरान अचानक एक राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण बढ़ गया था। उस समय वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस हाईकमान से भी बैठक की थी। इस बैठक में राजनीतिक परिथितियों पर चर्चा होने के साथ ही हाईकमान ने वीरभद्र सिंह को सारे हालात का स्वयं आकलन करने का परामर्श दिया था। इस दौरान वीरभद्र सिंह के अतिरिक्त बृज बुटेल, जीएस बाली, कौल सिंह ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह ने भी अलग–अलग हाईकमान से भेंट की थी। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में हुए विचार–विमर्श के परिणाम स्वरूप ही वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला लिया था। वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहें सीबीआई और ईडी मामलों की गंभीरता/अनिश्चितता आज भी यथास्थिति बनी हुई है। इस परिदृश्य में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक का आकलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

इस बैठक में जीएस बाली, राजेश धर्माणी, राकेश कालिया और रवि ठाकुर का गैर हाजिर रहना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह सभी लोग कभी न कभी अपने विरोध को मुखर कर चुके हैं। संभवत: इस पृष्ठभूमि को समाने रखते हुए इस बैठक में बाली को लेकर सीधी चर्चा हुई। बाली को लेकर यह आरोप लगा कि उनका एक पैर कांग्रेस और एक पैर भाजपा में है और उन्हे स्पष्ट करना चाहिए कि वह कांग्रेस में है या भाजपा में। बाली के अतिरिक्त और किसी नेता के खिलाफ यह आरोप लगने का अर्थ है कि अब बाली को इस संबध में सर्वाजनिक तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यदि बाली के खिलाफ लगने वाला यह आरोप सही नही है तो फिर बाली को अपने विरोधियों के साथ खुलकर लड़ाई लड़नी होगी। बाली के साथ ही सुक्खु को लेकर भी इस बैठक में सवाल उठे है और संगठन पर अकर्मण्यता के गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे सुक्खु और वीरभद्र में संगठन को लेकर पिछले कुछ असरे से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों को लेकर वीरभद्र कई बार खुला हमला कर चुके हैं। वीरभद्र का हर समय यह प्रयास चल रहा है कि सुक्खु के स्थान पर कोई नया ही व्यक्ति प्रदेश का अध्यक्ष बने। इसी कारण संगठन के अभी घोषित हुए चुनावों को भी टालने के लिये विधायक दल की बैठक में कुछ लोगों ने आवाज उठायी जबकि संगठन के यह चुनाव अब चुनाव आयोग के निर्देशों पर करवाने पड़ रहे हैं जिन्हें टालना संभव नही हो सकता।

इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, जो लोग इस बैठक से गैर हाजिर रहे हैं यदि वह कल को वास्तव में ही पार्टी से बाहर जाने का मन बना लेते हैं तो तुरन्त प्रभाव से सरकार संकट में आ जाती है। बाली पर जिस तरह से सीधा हमला किया गया है उससे यह संकेत भी उभरता है कि पार्टी के भीतर बैठा एक वर्ग बाली को कांग्रेस से बाहर निकालने की रणनीति पर चल रहा है भले ही इसकी कीमत सरकार के नुकसान के रूप में ही क्यों न चुकानी पड़े। यह तय है कि इस बैठक मे जो कुछ घटा है उसके परिणामस्वरूप अब एक जुटता के सारे दावे अर्थहीन हो जाते हैं और यह स्थिति अन्ततः विधानसभा भंग होने तक पहुंच जायेगी।

वीरभद्र और अन्य को जारी हुए नोटिस

शिमला/शैल। आय से अधिक संपति मामलें में अन्ततः ट्रायल कोर्ट ने

सीबीआई द्वारा दायर चालान पर सज्ञांन लेते वीरभद्र एवम् अन्य को नोटिस जारी कर दिये है। सभी नामज़द अभियुक्तों को 22 मई को अदालत में हाजिर होना होगा। हाजिर होने पर नियमित जमानत लेनी होगी। इसके बाद इन्हे दायर हुए चालान की कापी मिलेगी। चालान की कापी मिलने के बाद उसके निरीक्षण का समय मिलेगा। इस निरीक्षण पर यदि चालान की कापी में कोई कमी पायी जाती है तो उसे कोर्ट के समाने रखा जायेगा और पूरा किया जायेगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आरोप तय होने की स्थिति आयेगी। आरोप तय होने के लिये पूरी बहस का समय मिलेगा।

आरोप तय होने के बाद ही नामज़द अभियुक्तों को एतराज उठाने का अवसर मिलता है। क्योंकि आरोप तय होने से पहले कथित अभियुक्त को कोई अधिकार नही है। माना जा रहा है कि जून अन्त तक आरोप तय हो जायेंगे।